



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277253
CG-DL-E-17102026-277253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 826]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 897(अ).— भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, अनुसंधान अधिकारी, भर्ती नियमावली 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिनेवा (स्विट्जरलैंड), स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, अनुसंधान अधिकारी, भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, अनुसंधान अधिकारी, भर्ती नियमावली 2019 की अनुसूची में,

(क) कॉलम संख्या (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(11)
“प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसने:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारित किया हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 (53100रु.-167800) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (47600रु.-151100) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- (1) शैक्षणिक योग्यता :- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री, अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (i) विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अकादमी चैंबर या एलिसन या फोरम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेनिंग अथवा समतुल्य मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। (2) अनुभव - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार नीतियों के क्षेत्र में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। नोट 1: केंद्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

(ख) कॉलम संख्या (13) में, निम्नलिखित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(13)
“संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है”

नोट :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.57, दिनांकित 23 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. के-44018/4/2017-टीपीडी]

प्रिया पी नायर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

G.S.R. 897(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President of India hereby makes the following rules to amend the Ministry of Commerce and Industry, Permanent Mission of India to the World Trade Organisation, Geneva (Switzerland), Research Officer, Recruitment Rules 2019, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Permanent Mission of India to the World Trade Organisation, Geneva, (Switzerland), Research Officer, Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Commerce and Industry, Permanent Mission of India to the World Trade Organisation, Geneva (Switzerland), Research Officer, Recruitment Rules 2019, in the SCHEDULE, -

(a) in the column No. (11) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

(11)
“By deputation: Officers under the Central Government: -
a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) in the parent cadre or Department; or (iii) with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in the parent cadre or Department; and
(b) possessing following educational qualifications and experience, namely:-
1. Educational qualification:- a. Masters or Bachelors Degree in any field of international trade from a recognised University or Institute, or b. Bachelors Degree from a recognised University or Institute; and i. having completed online e-learning course conducted by World Trade Organisation or United Nations Conference on Trade and Development or International Trade Council or International Chamber of Commerce Academy or Alison or Forum for International Trade Training or similar recognised organisation or Institution. 2. Experience - Three years experience of working in the field of International trade and trade policies.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same *or* some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications;”

(b) in the column No. (13), for the entries following entries shall be substituted, namely: -

(13)
“Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.”

Note :- The principal rules were Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section(i), *vide* number G.S.R. 57, dated the 23rd February, 2019.

[F. No. K-44018/4/2017-TPD]

PRIYA P NAIR , Economic Adviser